Reg. No. 28/65-66

ग्राम विकास अधिकारियों का एकमात्र संगठन
(विभागीय मान्यता प्राप्त)

राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ (पंजी) जयपुर

उपशाखा.......................................जिला शाखा..................................

Website- www.gramvikasadhikari.org, E-Mail : rvdo.raj@gmail.com, Mob. 9829092714

क्रमांक :– दिनांक :–

–:: ज्ञापन ::–

माननीय मन्त्री महोदय,
पंचायतीराज विभाग,
राजस्थान सरकार–जयपुर।

श्रीमान् शासन सचिव एवं आयुक्त महोदय
पंचायतीराज विभाग
राजस्थान सरकार–जयपुर।

मार्फत :– श्रीमान्...

विषय :– ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग की विगत 05 वर्षों से लंबित पदोन्नतियां करवाने एवं लगभग 500 ग्राम विकास अधिकारियों के बंद लिफाफा तथा डेफर प्रकरणों के निस्तारण करवाने बाबत।

प्रसंग :– संगठन का ज्ञापन क्रमांक : 93 दिनांक : 20.07.2023, ज्ञापन दिनांक 25.02.2025 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा पंचायती राज मंत्री महोदय की सर्वोच्च प्राथमिकता कार्मिक कल्याण है, जिसमें समयबद्ध पदोन्नतियां भी सम्मिलित है।

श्रीमान जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय पंचायती राज मंत्री महोदय की इन भावनाओं के विपरीत ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग के प्रथम पदोन्नति पद सहायक विकास अधिकारी पद पर होने वाली पदोन्नतियां विगत 05 वर्षों (2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25) से लंबित है तथा इसके अतिरिक्त लगभग 500 ग्राम विकास अधिकारियों के डेफर एवं बंद लिफाफा प्रकरण भी लंबित है। कुछ ग्राम विकास अधिकारियों के बंद लिफाफा एवं डेफर प्रकरण तो वर्ष 2003 से ही लंबित है। इसके साथ ही कार्मिक विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना में तीन संतान से प्रभावित कार्मिकों को भी पदोन्नति प्रकरणों में शिथिलता प्रदान करते हुए उनकी पदोन्नति भी प्रथम पदोन्नति वर्ष में करने के लिए रिव्यू डी पी सी भी की जानी है लेकिन पंचायती राज विभाग द्वारा यह पदोन्नतियां नहीं की जा रही है।

ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग की पदोन्नतियां नहीं होने का मुख्य कारण माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एस बी सिविल रिट याचिक संख्या 14955/2021 श्री ग्यारसी लाल बनाम राज्य सरकार में विभाग की ओर से नियुक्त ओ आई सी तथा याचिकाकर्ता की मिलीभगत से पंचायती राज पदोन्नति नियमों के विपरीत प्रस्तुत की गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के कारण पारित निर्णय दिनांक 23.01.2023 है। संगठन द्वारा उक्त समस्त तथ्य विभाग के संज्ञान में लाने के बाद भी आज दिनांक तक विभाग द्वारा ना ही तो माननीय उच्च न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई है एवं ना ही नियम विरुद्ध, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर प्रस्तुत की गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के दोषी ओ आई सी (श्री अशोक कुमार डिंडोर, तत्कालीन विकास अधिकारी पंचायत समिति झाडोल) के विरुद्ध ठोस कार्यवाही की गई है। जिससे यह प्रतीत होता है कि विभाग ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग की पदोन्नतियों को लेकर बार—बार अनुरोध के बाद भी गंभीर नहीं है। ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग के साथ सहायक विकास अधिकारी, अतिरिक्त विकास अधिकारी एवं विकास अधिकारी पद को सम्मिलित करते हुए लगभग 14600 का कुल कैडर है एवं समयबद्ध पदोन्नतियां नहीं होने से सभी संवर्गों में जबरदस्त निराशा और आक्रोश व्याप्त है। जिसके कारण विवश होकर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ को **'पदोन्नति नहीं तो, काम नहीं असहयोग आंदोलन'** प्रारंभ करना पड़ रहा है।

अतः आपसे आग्रह कि ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग की समयबद्ध पदोन्नतियां करवाने का श्रम करें अन्यथा संगठन को विवश होकर आंदोलन तेज करना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन एवं सरकार की होगी।

—:: आंदोलन के चरण ::—

क्र.सं.	दिनांक	वार	कार्यक्रम
1.	17.03.2025	सोमवार	प्रदेश के समस्त श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं श्रीमान विकास अधिकारी को जिला कार्यकारिणी एवं ब्लाक कार्यकारिणी द्वारा ज्ञापन
2.	21.03.2025	शुक्रवार	समस्त राजकीय व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट होना
3.	23.03.2025	रविवार	प्रदेश प्रतिनिधि सभा की बैठक में आंदोलन के आगामी चरणों पर निर्णय।

सादर ।

भवदीय

(..............................)
ब्लॉक मन्त्री
राज0ग्राम विकास अधिकारी संघ,
ब्लॉक...

(...)
जिला प्रतिनिधि
राज0ग्राम विकास अधिकारी संघ,
ब्लॉक...

(...................................)
ब्लॉक अध्यक्ष
राज0ग्राम विकास अधिकारी संघ,
ब्लॉक...